न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 99/2010

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये महावीर चौपड़ा अति. महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा उम्र-58 वर्ष निवासी-हाल- अति. महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट) मौजा-अंधेरी देवली तहसील-मसूदा, जिला-अजमेर (राज.)

प्रतिवादीगण :-

1. नारायण पुत्र तेजाराम
2. बलदेव पुत्र तेजाराम
3. मानी बेवा भोमा
4. गोपाल पुत्र भोमा
5. पूसा पुत्र भोमा
6. राजिया पुत्र गंभीरा
7. हांसा पुत्र हजारी
8. तिंजा बेवा शैतान
9. छगना गोद पुत्र ऊँकार

जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा (रास द्वितीय) तह.-जैतारण(पाली)

7. तहसीलदार, जैतारण तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:-06/09/2010

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं व इस काम्पनी का एक सीमेन्ट का प्लांट भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। वादी कम्पनी की ओर से कम्पनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर वादी की कार्यवाही करने हेतु कम्पनी द्वारा वादी को अधिकृत कर रखा हैं। इस बाबत् कम्पनी का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार पत्र की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी का उक्त सीमेन्ट प्लोट बांगड़ सीमेन्ट रास के नाम का सरहद मौजा-भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं इस सीमेन्ट प्लांट में आवागमन के लिए सड़क की आवश्यकता होने पर ब्यावर से मेड़ता जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 से कम्पनी के प्लांट के खेड़ा गेट तक सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा सरहद मौजा-भीमगढ़ में वाके आराजी खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 2-13 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 2396 रकबा 5-17 बीघा किस्म सेवज अव्वल में से 5/24 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार से जरिये लिखित पंजीबद्ध बेचान के भूमि के खातेदारी अधिकार वादी ने क्रय किये व 5/24 हिस्से की भूमि जो मौके पर बटी थी व वादी की खरीद सुदा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंट्वाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि में से सीमेन्ट प्लांट में से राष्ट्रीय राजमार्ग तक पक्की डामर सड़क का निर्माण किया, जो मौके पर चालु हैं व इससे कम्पनी के आवागमन के लिए मैटेरियल सीमेन्ट आदि का आवागमन हो रहा हैं व इस सड़क निर्माण बाबत् एक राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 121/2005 छोगा व अन्य बनाम श्री सीमेन्ट व अन्य का श्रीमान् के न्यायालय में चला, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण द्वारा फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे जो खेड़ा गेट के नाम से जाना जाता हैं से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 तक वादी का निजी खर्चे से पक्की डामर सड़क का रास्ता होना मंजूर किया, साथ में भूमि पर बटी हुई होना व यह सड़क वादी के हिस्से की भूमि पर होना भी प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर किया गया व वादी द्वारा अपने हिस्से की खरीदी गई भूमि मौके पर बटी हुई होना व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बेचान की जानकारी होना भी स्वीकार किया व इस बाबत् एक राजीनामा पेश कर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाई सड़क व रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर कर भविष्य में किसी प्रकर की बाधा, रुकावट आदि पैदा नहीं करने हेतु अपने आपको पाबन्द किया, उक्त राजीनामा दिनांक 07/02/2006 को एस.डी.एम. जैतारण द्वारा तस्दीक किया गया, उक्त राजीनामा व नजरी नक्शा की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वाद के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 2-13 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 2396 रकबा 5-17 बीघा किस्म सेवज अव्वल में वादी के 5/24 हिस्से की भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदर काश्तकार हैं इस रूप में वादी का नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज हैं। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त राजस्व रेकर्ड की मौजूदा जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मौके पर बटी हुई हैं व वादी के कब्जे में हैं वादी के फैक्ट्री की सड़क बनी हुई हैं व चालु हैं व रास्ता हैं वादी के हिस्से की भूमि का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हैं व लगान शामलाती हैं। नक्शा ट्रेश में भी वादी के हिस्से की भूमि का अलग से तरमीम होकर हिस्सा अलग से दर्शाया हुआ नहीं हैं। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को मौके की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने, हिस्से अनुसार लगान बंटवाने व बंटवाड़ा अनुसार नक्शा में तरमीम करवाने का दिनांक 22/08/2010 को कहा, मगर प्रतिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी की भूमि मौके पर बटी हुई हैं। मगर राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामलाती दर्ज हैं व नक्शा में भी बंटवाड़ा अनुसार हिस्से अलग से तरमीम कर अलग-अलग नहीं दर्शाये गये हैं व लगान भी शामलाती हैं। इसलिए वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हिस्से की भूमि का मौके पर बंटवाड़ा करवाने व वाद बंटवाड़ा नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी हैं। वादी के हिस्से की भूमि का अलग से खाता दर्ज करवाने व अलग से खसरा नम्बर दर्ज करवाने व हिस्से का लगान बंटवाने बाद तकासमा वादी का हिस्सा अलग से नक्शा में जरिये तरमीम अलग दर्ज करवाने का वादी अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कहने व प्रतिवादीगण ऐसा करने से मना करने पर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ तकासमा आराजी का वाद प्रस्तुत कर रहा हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामिल होने, नक्शा में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादीगण मौके पर वादी के हिस्से की जमीन व उसमें निर्मित सड़क व सड़क के आवागमन में बाधा पैदा करने की दिनांक 22/08/2010 को एलानिया धमकी दी व कहा कि रास्ता रोक देंगे। वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करेंगे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे। जिससे मौके पर टण्टा फसाद व लड़ाई-झगड़ा होगा व ऐसा होने की स्थितिं में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार के प्रतिनिध हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायवाद दिनांक 22/08/2010 को वादी द्वारा प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीमगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 23/04/2012 को की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 ने राजीनामा तहरीरी दिनांक 23/04/2012 को पेश किया, जिसे बाद तस्दीक सा0मि0 किया गया। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 मोहनसिंह का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश कर प्रस्तुत दस्तावेजात का मुख्य परीक्षण करवाया गया, प्रदर्श Exp-1 जमाबन्दी एवं नजरी नक्शा Exp-2 सामिल मिसल किये गये। अन्य शहादतवादी पेश नहीं करना चाहते हैं, लिहाजा शहादतवादी बन्द की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादीने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर वकील प्रति0 संख्या 1 व 5 ने भी उक्तानुसार बंटवाड़ा किये जाने में सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, राजीनामा एवं राजस्व रेकर्ड मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में माफिक बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 2-13 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 2396 रकबा 5-17 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2012/1967 दिनांक 19/12/2012 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/..Nil दिनांक 03/07/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 2-13 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 2396 रकबा 5-17 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास – हाल–महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा–बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.–मसूदा जिला–अजमेर खातेदार।	2306 2396	0-09-00 5-00-00	से0दो0 से0अ0	0.33 रु. 5.10 रु.
	योग	2	5-09-00		5.43 रु.
2	नारायण पुत्र तेजा उगमाराम पुत्र राजूराम कौम–गुर्जर सा0 खेड़ा, रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स हॉटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड़ जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा खातेदार।	2306/3 2396/2	0-02-00 0-17-00	से0दो0 से0अ0	0.08 रु. 0.90 रु.
	योग	2	0-19-00		0.98 रु.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता शामिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये महावीर चौपड़ा अति. महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा उम्र-58 वर्ष निवासी-हाल-अति. महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट) मौजा-अंधेरी देवली तहसील-मसूदा, जिला-अजमेर (राज.)

1. नारायण पुत्र तेजाराम
2. बलदेव पुत्र तेजाराम
3. मानी बेवा भोमा
4. गोपाल पुत्र भोमा
5. पूसा पुत्र भोमा
6. राजिया पुत्र गंभीरा
7. हांसा पुत्र हजारी
8. तिंजा बेवा शैतान
9. छगना गोद पुत्र ऊँकार

जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा (रास द्वितीय) तह.-जैतारण(पाली)

7. तहसीलदार, जैतारण तह0-जैतारण (जिला-पाली)

मु0न0 :रा0वा0 स0:99/2010

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 2-13 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 2396 रकबा 5-17 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2306 2396	0-09-00 5-00-00	से0दो0 से0अ0	0.33 रू. 5.10 रू.
	योग	2	5-09-00		5.43 रू.
2	नारायण पुत्र तेजा उगमाराम पुत्र राजूराम कौम-गुर्जर सा0 खेड़ा, रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स हॉटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड़ जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा खातेदार।	2306/3 2396/2	0-02-00 0-17-00	से0दो0 से0अ0	0.08 रू. 0.90 रू.
	योग	2	0-19-00		0.98 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	3=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	8=00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	—	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	14=00	मिजानः–	—Nil—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner